भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1092

05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कोविड-19 टीकाकरण से होने वाली मौतें

1092. श्री मोहिब्बुल्लाहः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं (एईएफआई) के रूप में दर्ज मौतों की संख्या कितनी है और कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी ऐसी मौतों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या सरकार के पास देश में कोविड-19 टीकाकरण के कारण हुई मौतों के लिए मुआवज़ा देने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): प्रतिरक्षण पश्चात प्रतिकूल घटना (एईएफआई) प्रतिरक्षण के बाद कोई भी ऐसी अप्रिय चिकित्सीय घटना हो सकती है, जिसका टीका या टीकाकरण से अनिवार्य रूप से कोई भी कारण-संबंध नहीं होता है और इसकी रिपोर्ट एईएफआई के निगरानी तंत्र के माध्यम से की जाती है। टीकाकरण के बाद होने वाली प्रतिकूल घटनाओं की निगरानी एक सुव्यवस्थित और सुदृढ़ एईएफआई निगरानी प्रणाली के माध्यम से की जाती है। जाँच और मृत्यु के कारण का मूल्यांकन कारण और प्रभाव के बीच संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत प्रशासित कुल 220.68 करोड़ खुराकों में से, कोविड टीकाकरण के कारण होने वाले ऐसे मामलों का अनुमान लगभग 0.0000015% हैं। ऐसे मामलों में मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं है।

*****